



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/344/15/9490

दिनांक: 06.02.2017

परिपत्र संख्या 04/17/CIRCULAR NO. 04/17

विषय:- कोरे सिक्कों की खरीद के गहन परीक्षण कार्य में पाई गई इन्शुरेंस संबंधि अनियमितताएं (Irregularities observed during Intensive Examination of procurement of coin blanks regarding - Insurance

सीटीई सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा एक इकाई में गहन जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई हैं:-

During Intensive Examination by CTE, Central Vigilance Commission in one of the unit, following irregularities were observed:-

क) बीमा एनआईटी का हिस्सा था लेकिन ठेकेदार ने सामग्री के परिवहन के दौरान बीमा कवर नहीं लिया था। इस संदर्भ में सभी अनुबंधों के लिए एक आम जोखिम कवर नीति पर्याप्त नहीं हो सकती। प्रत्येक खेप आपूर्ति के लिए एक विशेष बीमा कवर लिया जाना चाहिए।

a) Insurance was part of NIT but contractor has not taken the insurance cover while transporting the material. A common risk policy covering all the contracts in hand may not be sufficient in this regard. A specific insurance cover for each consignment/supply is to be taken.

2. सक्षम प्राधिकारी ने इन अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है। इस संदर्भ में, सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है भविष्य में सभी वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के बाद ही ठेकेदार/फर्म को भुगतान किया जाए और इसे निविदा का भाग बनाया जाए।

2. Competent Authority has viewed the above lapses seriously. In this regard, all concerned are hereby advised to ensure that payment to contractor/firm may be made after fulfilling of all statutory requirement and this may be made the part of NIT.

- पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - / - Contd. at Page 2 -

शशिभूषण वर्मा
06/02/17

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/344/15/

दिनांक: 06.02.2017

3. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

3. The widest possible publicity should be given to his circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

4. This issues with the approval of Competent Authority.

शशिभूषण बेहेरा

(शशिभूषण बेहेरा)/(SHASHIBHUSHAN BEHERA)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/नि.मु./Mints/Presses/Paper Mill/CHO,

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/ CMD.
2. निदेशक (मा.सं./तक.)/मु.स.अ.।/Director (Tech/ HR)/CVO.
3. अपर महाप्रबंधक (नि.मु.)।/Addl. GMs (CHO).
4. उप महाप्रबंधक (नि.मु.)/उप मु.स.अ./DGM (CHO)/Dy. CVO.
5. मुख्य प्रबंधक एवं प्रबंधक (नि.मु.)/Chief Managers and Managers (CHO).
6. सभी सतर्कता अधिकारी (नि.मु./इकाइयां)/All Vigilance Officials (CHO/units).
7. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.